(1) Setting off the accumulated losses;

(2) Approval of capacity expansion;

(3) Provisicn of Government guarantee for raising funds; and

(4) Extension of Government guarantee for working capital loan.

Our Chief Minister has represented the matter to the Hon. Prime Minister several times and urged upon him to take immediate action to save the Steel Plant from being referred to the BIFR.

Hence, I request the Government to take immediate appropriate measures to prevent the Steel Plant from being referred to the BIFR and approve the turn-around strategy plan...*(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY (West Bengal):The Government should give financial protection to it.

Increase in atrocities on Women

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। जिस विषय पर मैंने विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार का और संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए विषय चुना था मुझे आज खुशी है कि कम से कम इस सदन में एक महिला सांसद बैठी हैं और बाकी सब अपने भोजन के लिए गई हैं लेकिन मैं उन्हीं की उपस्थिति में महिलाओं पर जिस प्रकार के गहन अत्याचार हो रहे हैं - महोदय, कई बार मेरे मन में इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है कि अगर मैं संसद में महिलाओं के ऊपर होने वाले वीभत्स अत्याचारों की घटना और कहानी का वर्णन करुं तो शायद हम लोगों की आंखों में आंसू आएंगे, हमारा दिल दहल उठेगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम सब सांसद इस बात को जानते हैं कि समय-समय पर किसी भी प्रांत में घटे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, व्यभिचार और बलात्कार की घटनाओं का हम सबने यहां पर मिल कर विरोध किया है और उस पर हमेशा सहानुभूति के शब्द कहे हैं। महोदय, मैं उनमें से नहीं हूं जो यह मांग करेंगे कि फलां प्रांत में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं जो यह कहेंगे कि उस मुख्य मंत्री को बदल दिया जाना चाहिए जिसके प्रांत में एक आदमी को या किसी को जिन्दा जला दिया गया हो, उसको हटा दिया जाए या उसको बर्खास्त कर दिया जाए, मैं उनमें से नहीं हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय आपके सामने रखना

चाहता हूं वह बड़ा ही दर्दनाक है जिस पर मैं चाहता हूं कि संसद कभी गंभीरता से किसी और समय पर भी चर्चा करे और कोई ठोस निर्णय ले। केवल दिखावे के आंसू बहाने से या तात्कालिक घटना घटने के समय हम सहानुभूति के दो शब्द व्यक्त करके इन समस्याओं का निदान नहीं कर पाएंगे। यह आवश्यक हो गया है क्योंकि बढ़ती हुई बलात्कार की घटनाओं से इस देश की महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार के वीभत्स कांड हो रहे हैं उनको अगर नहीं रोका गया तो यह देश के अंदर यह एक तमाशा बन जाएगा और जो हम लोग संसद में बैठ कर कानून बनाने की हिमाकत करते हैं उनका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। महोदय, मैं परसों का एक किस्सा आज आपके सामने वर्णित करना चाहता हूं जो राजस्थान में हुआ है। राजस्थान मेरा प्रदेश है। मैं राजस्थान के नाम पर अगर इस प्रकार की बात बोलता हूं तो मेरे स्वयं के दिल में दर्द होता है क्योंकि वह मेरा प्रान्त है। लेकिन मुझे अफसोस है कि राजस्थान के अन्दर पिछले दिनों में बलात्कार की इतनी घटनाएं हुई हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं है। वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर इस चीज को कोई सुनने वाला है कि नहीं है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। वहां के मुख्य मंत्री क्या करते हैं, क्या वहां लॉ एंड आर्डर की मशीनरी इतनी कमजोर हो गई है, इतनी गई बीती हो गई है कि उसके कान में तेल डालने पर भी उसको कुछ सुनाई नहीं देता है? क्या उसको वीभत्स कांड दिखाई नहीं देते हैं? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता लोग अपनी आंख मूंद कर बैठे हुए है, क्या उन्हें अपनी सरकार के कार्य-कलाप दिखाई नहीं देते हैं? उनके पास इसके बारे में जानकारी लेने का भी समय नहीं है। वहां के मुख्य मंत्री को क्यों नहीं बुलाया जाता है? जबकि आपने उड़ीसा के मुख्य मंत्री को एक आदमी के जला देने पर बुलाया, उसको तलब किया और उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया था।

महोदय, दौसा के पास गीजगढ़ नाम का गांव है। वहां पर ममता नाम की एक महिला के साथ तीन दरिन्दों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद उसके ऊपर केरोसीन, तेल छिड़ककर उसको जिंदा जला दिया। क्या हम लोग यहां पर आंख मूंदकर बैठे रहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी असंवेदनशील बन गई है कि उसको इस बात की खबर ही नहीं है? क्या वहां के मुख्य मंत्री को तलब नहीं किया जा सकता है, क्या वहां के मुख्य मंत्री को डांट-फटकार नहीं लगाई जा सकती है कि इस व्यवस्था को बदलो और इसमें सुधार लाओ, वर्ना तुम्हारी कुर्सी उठाकर फैंक दी जाएगी, क्या यह बात नहीं की जा सकती है? महोदय, जलने वाला चाहे ईसाई हो, जलने वाली चाहे दलित महिला हो, जलने वाला चाहे कोई बच्चा हो, जलता-जलता हुआ ही होता है वह और दर्दनाक किस्सा होता है और उसे देखकर आंख बंद नहीं की जा सकती हैं।

महोदय, मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह घटना क्यों घटी, क्योंकि इस घटना से 40 दिन पहले एक घटना वहां पर और हो चुकी थी। उस महिला का नाम मुन्नीबाई था और उस महिला की उम्र 35 वर्ष थी। यह घटना भी उसी स्थान की है जिसका वर्णन मैंने अभी किया है। आज भी एक अखबार वाले ने वहां जाकर, स्पॉट पर जाकर जानकारी की तो एक किस्सा और सामने आया। मुन्नीबाई नाम की महिला जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वह बैरवा जाति की है और उसी गांव की बैरवा बस्ती में रहने वाली है, जहां की ममता बैरवा थी। उसी गांव में उस महिला के साथ 4 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसने मानपुर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे दुख होता है कि थानेदार ने पहले रिपोर्ट लिखने से मना किया और जब रिपोर्ट लिख ली तो 40 दिन तक किसी दरिन्दे को नहीं पकड़ा, किसी अपराधी को नहीं पकड़ा और उस मामले में लापरवाही बरतने के कारण उसी जगह पर फिर से बलात्कार की घटना घटी। उसी जाति की महिला के साथ 40 दिन बाद फिर यह घटना घटी। पहली घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पहली घटना के बाद महिला को जिन्दा छोड़ दिया था लेकिन इस बार तो उन दुष्टों, राक्षसों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने उसको जिंदा जला दिया, जिससे कि मुन्नी जैसी शिकायत करने वाली महिला जिंदा ही न बचे। महोदय, हमने कई बार ऐसे किस्से देखे हैं। हमें याद है तंदूर कांड, जिसमें महिला की बोटी-बोटी काटकर तंदूर में डाल दी गई थी, हमने उस पर आंसू बहाए थे और मामला खत्म हो गया। इतने वर्ष हो गए, उस मामले में क्या हुआ?

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे शर्म आती है, पता नहीं वहां पर जो राज्य करने वाली पार्टी है या राज्य के नेता हैं या बाकी लोग हैं, उन्हें शर्म आती है या नहीं आती है, लेकिन मेरा तो सिर शर्म से झुक जाता है, जब मैं राजस्थान के बारे में इस बात की चर्चा करता हूं । अभी एक महीने पहले की बात है। तिब्बत के लोग वहां पर आते हैं, वहां पर अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, गर्म कपड़े बेचने के लिए आते हैं, हर जगह पर बाजार लगाते हैं। वहां पर एक 20 साल की लड़की अपना सामान बेच रही थी, 4 लोग आए और गाड़ी में उठाकर उसको ले गए। जयपुर से 40 किलोमीटर दूर जाकर 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इनके राज्य में न तो देशी लड़कियां सुरक्षित हैं और न विदेशी लड़कियां सुरक्षित हैं। एक फ्रेंच महिला के साथ भी राजस्थान में बलात्कार किया गया था। हम अभी तक किसी भी अपराधी को पकड़कर सजा नहीं दिलवा पाये हैं। क्यों नहीं दे पाए, महोदय, यह सवाल हमारे सामने है । हमारा कानून इतना कमज़ोर क्यों है, हमारा क़ानून इतना गंदा क्यों है, इतना हलका क्यों है कि हम ऐसे अपराधियों को, ऐसे वीभत्स अपराध करने वाले लोगों को सज़ा नहीं दे सकते ? महोदय, मैं सरकार की भर्त्सना करना चाहता हूं,

उस मुख्य मंत्री की भी भर्त्सना करना चाहता हूं चाहे वह राजस्थान का हो चाहे किसी और प्रदेश का हो । मैं उस मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं में उनके प्रदेश को आगे नहीं होना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और केन्द्र की सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए....हमने कई बार कहा है कि ऐसे दरिन्दों को मौत की सज़ा दी जाएगी लेकिन वह कब दी जाएगी ? यह सज़ा देने से पहले कितनी महिलाओं के सत लूटे जाएंगे, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार होगा, कितनी जिंदा जला दी जाएंगी, क्या उसके बाद सज़ा दी जाएगी? आखिर अगर कानून बनाना है तो जल्दी बनाया जाए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समरी ट्रायल्स बनाए जाएं, ऐसे कोर्ट बनाए जाएं जो तुरंत ऐसे मामलों का निर्णय करें । हम जानते हैं दिल्ली के अंदर कितने बलात्कार के कांड हुए । उन सारे कांडों में आज तक मुझे तो पता नहीं, कानून विशेषज्ञों को पता हो सकता है कि कितनी सज़ा मिली, किसको मिली । क्या तन्दूर कांड में जलाने वाले व्यक्ति को सज़ा मिली ? क्या जेसिका लाल को गोली से भूनने वालों को सज़ा मिली ? या राजस्थान में इससे पहले भी कई बार बलात्कार के किस्से हुए थे, उनको कोई सज़ा मिली ? आज तक हमने तो सुना नहीं । अभी मट्टू केस में भी बलात्कार हुआ, सुनवाई हुई और उसका अपराधी भी छूट गया ।

महोदय, अपराधी छूट जाते हैं, बलात्कार हो जाता है और कार्यवाही लंबित होती जाती है। महिला जाते-जाते परेशान हो जाती है । वह अपना सतीत्व लुटा चुकी है, अपना सर्वस्व लुटा चुकी है और फिर वह गली-गली चक्कर लगाती रहती है । उससे उसको और भी अधिक शर्मिन्दगी का अनुभव होता है । बलात्कार में एक बार उसको शर्मिन्दगी होती है लेकिन रोज़-रोज़ बलात्कार की चर्चा होने से उसके ऊपर बहुत लांछन लगते हैं और उसका जीवन नरक बन जाता है । उस नारकीय जीवन में महिला जीना पसंद नहीं करेगी वरना आत्महत्या करना पसंद कर लेगी । ऐसे कई मौके आते हैं और लोग आत्महत्या करते भी हैं लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मैं राजस्थान की सरकार को भी इस सदन की मार्फत यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर भविष्य में इस प्रकार के कांड होंगे तो हम उसके लिए तीव्रतम आंदोलन खड़ा कर देंगे और उस सरकार को वहां से हटने के लिए मजबूर कर देंगे । हम आपसे मांग नहीं करेंगे कि आप राष्ट्रपति शासन लगाएं या हम आपसे मांग नहीं करेंगे कि वहां के मुख्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए बल्कि हम फिर स्वयं वहां जाकर इन सारे मामलों को अपने हाथ में लेंगे ।

महोदय, मैं सदन के सभी सांसदों से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके कोई ऐसा कानून बनाने की कोशिश करें, कोई ऐसी विधायी व्यवस्था करें ताकि अपराधियों को एक्ज़ेम्प्लरी पनिशमेंट मिल सके । धन्यवाद ।

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान) : सर, मैं अपने आपको इस विषय से एसोसिएट करता हूं ।

श्री कनकमल कटारा (राजस्थान) : महोदय, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करना चाहता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR) : Mr. Ramdas Agarwal, thank you for raising this important issue. We have been paying lip service to these atrocities. As and when the incidents take place, we talk about it. Otherwise, our sensitivities get anaesthesed. It is high time that we discuss this.

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : बहुत-बहुत शुक्रिया महोदय । अग्रवाल जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस सदन के सामने उठाया और उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया । महोदय, मैं अगर कुछ कहूं तो मुझे मिसअंडरस्टेंड नहीं कीजिएगा । जब हम महिलाओं के साथ बलात्कार की चर्चा करते हैं या ऐसे मुद्दे यहां उठाते हैं तो ऐसा करते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि किस राज्य में कौन सी सरकार है । महिला महिला होती है । मैंने इनका जवाब नहीं दिया होता लेकिन इन्होंने बार-बार कहा कि राजस्थान मेरा प्रांत है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के राज्य में यह होना चाहिए था या वह होना चाहिए था । इसलिए मैंने इस चीज़ को उठाया। सरकार किसी की भी रही हो लेकिन किसी भी जाति की महिला चाहे वह दलित हो या अन्य समाज की हो, वह महिला होती है । वह बेटी होती है, बहू होती है, वह किसी की बहिन होती है, किसी की बीवी होती है। इस तरीके से हम समाज में इन घटनाओं को घटते हुए देखते हैं और कई बार उनका सदन में ज़िक्र भी करते हैं लेकिन ज़िक्र होता है, स्पेशल मेंशन होता है, ध्यानाकर्षण होता है, उसके बाद क्या होता है ? उसके बाद कुछ भी नहीं होता है । हां, एक दिन के लिए तो हमारा नाम टी.वी. या रेडियो पर आ जाता है कि इन-इन लोगों ने इस विषय को यहां पर उठाया और इन-इन लोगों ने उसके साथ एसोसिएट किया लेकिन आखिर हम किस प्रकार की योजना ला कर, किस प्रकार का आचरण देकर इस चीज़ को समाज से हटाना चाहते हैं ?

यह मेरी समझ में नहीं आया । ठीक है महिला दलित समाज की थी, जो हुआ एक बहुत घिघौना काण्ड हुआ, यह नहीं होना चाहिए था । इस काण्ड से हम इतना शर्मिन्दा हैं कि

हमें लगता है कि आज 50 साल की आज़ादी के बाद भी देश के प्रांतों में रोज-रोज ही ऐसी घटनाएं होती हैं । कभी-कभी तो लगता है कि क्या भगवान ने महिला को इसलिए जन्म दिया है कि उसके साथ इस तरह का व्यभिचार हो ? इस तरह का बलात्कार होता रहे, हम यहां जिक्र करते रहें और कानूनी कार्रवाई कुछ भी न हो । आपको याद होगा कि मैं इस सदन में एक बिल लाई थी, जो निजी बिल था । रामदास अग्रवाल जी कह रहे थे कि मैं इसकी मांग करता हूं । आपको याद है कि नहीं महोदय, लेकिन मुझे याद है, गौतम जी बैठे हैं उनको भी याद होगा, अन्य सदस्य बैठे हैं उनको भी याद होगा कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं, अनेक बार, वे प्रैस में भी बयान दे चुके हैं कि हम बलात्कार के अपराध के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान करने जा रहे हैं परंतु क्या अभी तक कुछ हुआ है ? क्या कभी सुना है आपने, देखा है आपने, पढ़ा है आपने कहीं कुछ होते हुए? मेरे निजी विधेयक पर, जब मैंने कहा एक ऐसा ही आश्वासन दिया गया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ । महोदय, बहुत शर्म आती है कई बार जब बार-बार महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं । हम बहुत कुछ बोल जाते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं । वाकई इसके लिए हमें सरकार के मार्फत एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जो भी हो, किसी भी प्रांत में, किसी भी लड़के ने, किसी भी पुरुष ने, चाहे वह दलित समाज की लड़की या महिला के साथ हो या किसी भी समाज की महिला के साथ हो, जब तक दो-चार केसस में मृत्युदण्ड नहीं देंगे तब तक समाज में एक दहशत के वातावरण का निर्माण नहीं होगा । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मृत्यु दण्ड अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है ।

मैं इस बात से बहुत आहत हूं जो आपने कहा कि कांग्रेस का वहां राज है । राज तो हमारा ही है लेकिन ऐसा मैं नहीं समझती हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने अधिकारियों को बुलाकर उसकी छानबीन नहीं की होगी, जरूर की होगी । शायद उस छानबीन की आपको जानकारी नहीं होगी । मैं भी अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से इसकी छानबीन करके गहराई में जाने की कोशिश करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है ? दोसे में ही ऐसा क्यों हो रहा है और राजस्थान में ही क्यों हो रहा है ? इन्हीं शब्दों के साथ अग्रवाल जी ने जो विचार सदन के सामने रखे हैं मैं अपने आपको उनके साथ संबद्ध करती हूं ।

श्री ओंकार सिंह लखावत : उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन की महिलाओं का एक शिष्ट मंडल चला जाए तो अच्छा रहेगा । यह बड़ी लोमहर्षक घटना है । मैडम की अध्यक्षता में चला जाए क्योंकि वे बहुत संवेदनशील इस मामले को लेकर हैं, ऐसा मेरा सजेशन है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): As I have stated, I do not want to participate. But I would like to say this. Merely

changing the laws and deterrent sentences have never worked. Otherwise, murders would have not been committed. The question is of a change of attitude. How we depict our women in our society, in our films, the way we are doing it, is something to be discussed at length.

कुमारी सरोज खापर्डे : जब तक समाज का महिलाओं की ओर देखने का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा और जब तक समाज की महिलाएं एक होकर इन चीजों का विरोध नहीं करेंगी जब तक मुझे नहीं लगता कि कोई चीज कामयाब होगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Mr. Gautam, since you are just associating yourself with him, I would request you to be brief.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । महिलाओं पर अत्याचार होता क्यों है ? यह उत्तेजना पैदा होने से होता है । उत्तेजना पैदा कैसे होती है ? हमारे देश में बड़ी संख्या में नौजवान बेकार घूमते हैं और खाली आदमी का दिमाग शैतान का घर होता है । वे खुराफात की बात सोचते हैं, उत्तेजक होते हैं और अपराध करते हैं । कुछ लोग ऐशो-आराम और अय्याशी की जिंदगी बिताते हैं और केवल अपने शौक के लिए जुल्म, अत्याचार करते हैं । एक बार बच्चे पढ़ने जा रहे थे, मेंढ़कों पर डले मार रहे थे । मेंढ़कों ने शिकायत की । मैंढकों ने शिकायत की कि भाई आप क्या कर रहे हो । हम तो खेल कर रहे हैं। तुम्हारा तो खेल हो गया और हमारी जान जाती है । यह भी कुछ शौकीन लोग करते हैं । तीसरा यह है कि नशीली चीज़ों के सेवन से मानसिक संतुलन बिगड़ता है । नशा कर के लोग इस तरह की खुराफ़ात करते हैं । नम्बर 4- सीरियल, ड्रामा और फिल्में, मैंने सुना है देखी नहीं है ब्लु फिल्म, इससे भी उत्तेजना पैदा होती है और यह अपराध करते हैं । इसके बाद, क्षमा करेंगे बहनजी, महिलाओं का रहन-सहन, चलना-फिरना, पहनना-ओढ़ना और आधुनिकीकरण से अंगों का प्रदर्शन भी उत्तेजना पैदा करते हैं । इसलिए भी यह अपराध होते हैं और महिलाएं जुल्म और अत्याचार की शिकार होती हैं । इसके बाद नेता लोग भी इसमें सहयोग करते हैं । बदमाशों की थाने में रिपोर्ट होती नहीं, बदमाशों को बचाने के लिए नेता लोग पहले पहुंच जाते हैं । पुलिस पर दबाव डालते हैं । पुलिस इसलिए नहीं पकड़ती क्योंकि वह सिफारिश और रिश्वत दे कर भर्ती होते हैं और उनकी ट्रांस्फर और पोस्टिंग नेताओं के हाथ में होती है । इसलिए वह डरते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते हैं । मुझे क्षमा करेंगे, उपसभाध्यक्ष महोदय, आप न्यायाधीश रहे हैं । मुझे बड़ी शिकायत है मानवाधिकार आयोग से । मानवाधिकार आयोग की दखलंदाजी भी इन कामों को बढ़ावा दे रही है । हर समय यह मसला उठता है कि मानव अधिकारों का हनन हो गया ।

जिसके साथ बलात्कार हो गया, क्या उसका मानवाधिकार नहीं है ? जिसकी जान चली गई, क्या उसका मानवाधिकार नहीं है ? जिसके ऊपर अत्याचार हो गया, क्या उसका मानवाधिकार नहीं है ? पुलिस आजकल बदमाशों को कैसे पकड़ कर लाती है, यह भी आप देख लीजिये । बदमाश के कंधे पर हाथ रख कर जैसे सैर करने जा रहे हैं, ऐसे पकड़ कर लाती है । पहले पुलिस ठोक-पीट कर, डंडे मार कर, हथकड़ी लगा कर लाठी के हूदे से लाती थी । क्या ऐसे कोई मुजरिम बदमाशी करना छोड़ देगा ? माफ करेंगे, मेरा विचार अलग है। एक तरफ मांग हो रही है कि सजाए मौत के लिए कानून बने, थर्ड रेट मेथड को फिर से बहाल किया जाए । जो बदमाशी करता है, उस पर लाठी का प्रयोग होना चाहिये, उसके हाथ पैर टूटने चाहियें, हथकड़ी पहनानी चाहिये, काला मुंह कर के गधे पर चढ़ा कर समाज में घुमा कर लाना चाहिये । ....(**व्यवधान**).... आप लोग कानून नहीं बनने देते हैं, आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं । इसके लिए सारे नेता जिम्मेदार हैं । अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था । तब अपराध बहुत कम होते थे । उस समय यह कानून था । अब तो अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए यह कानून सख्ती से लागू होना चाहिये। ....(**व्यवधान**)....

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर) : आप तो ऐसोसियेट कर रहे हैं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : जी हां, मैं एसोसियेट ही कर रहा हूं । लेकिन एसोसियेट ऐसे शब्दों के करने से क्या फायदा जिनसे समस्या का हल न निकले । समस्या का हल तो होना ही चाहिये । अब अंतिम बात यह है कि मुजरिमों को सजा इसलिए नहीं होती कि शहादत नहीं मिलती अर्थात् गवाही नहीं मिलती । कानून क्या कहता है ? कोई जरूरी नहीं है किसी गवाह का बयान, अकेले मुद्दई का बयान भी अगर पूरी तरह से सर्कमस्टांशियल एवीडेंस है तो सजा हो जानी चाहिये । लेकिन जज लोग भी छोड़ देते हैं । अब मैं अंत में एक उदाहरण देता हूं । मैंने 1960 में वकालत शुरू की थी । उस समय चोरी के मुकदमों में मेजिस्ट्रेट बराबर मुजरिमों को यह कह कर छोड़ देते थे कि क्या करें कानून की धारा में कमी है और गवाही भी नहीं हुई । एक बार एक दरोगा ने मेजिस्ट्रेट के घर में चोरी करवा दी और उसी चोर को पकड़ लिया, सामान भी बरामद कर लिया । तब मेजिस्ट्रेट को ख्याल आया । जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं जब तक इनके साथ जुल्म-अत्याचार नहीं होंगे, इनके परिवार वालों के साथ नहीं होंगे तब तक यह मुजरिमों को सजा देना शुरू नहीं करेंगे । इसलिए क्षमा कीजिये, आपका अपना मत है और मेरा अपना मत है । मैं अपनी तकलीफ को ज़ाहिर कर रहा हूं और मैं एसोसियेट कर रहा हूं आपके साथ कि महिलाओं पर जुल्म, अत्याचारों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने ही चाहियें । मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं ।

श्री रामदास अग्रवाल : Sir, I will take just one minute to keep the record straight.

मैंने जो विषय सामने रखा है, माननीय गौतम जी ने उस पर अपने विचार रखे हैं। यह बात सही है। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी जुडीशियरी और बाकी के बारे में कहा है, मैं चाहता हूं कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए। उनकी आवश्यकता नहीं है ... .(**व्यवधान**).... यह मेरा सुझाव है।

श्री संघ प्रिय गौतम : ....(**व्यवधान**).... मेरा कोई जुडीशियरी के अगेंस्ट नहीं है ... I happen to be an advocate. Nothing is against the judiciary.इसमें क्या खराबी है ... (**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Gautamji had a very vast experience in this field. ...*(Interruptions)*...

श्री रामदास अग्रवाल : क्योंकि जो विषय की गंभीरता है उसको इधर से उधर डाइवर्ट कर दिया गया है .... (**व्यवधान**).... आप देख लें उसको।

उपसभापति : देख लेंगे।

मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): रामदास अग्रवाल जी ने जो सवाल उठाया है, बाकी सब लोगों ने उससे अपने को सम्बद्ध किया है। लेकिन जिन्होंने ओरिजनल सवाल उठाया वे फिर अपने को असम्बद्ध क्यों कर रहे हैं? आपको उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन एक चीज गौतम जी इसमें नहीं बोले। मैं इसमें एक एडीशन चाहता हूं कि जो पोलिटीशियंस हैं और जो कोई भी पावरफुल लोग हैं उनको भी - कलप्रिट्स को - ऐसे केसेज में किसी को सहारा नहीं देना चाहिए। यह होना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI ADHIK SHIRODKAR): Very good. Very good. Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Sir, how many Members are left to address this issue?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): That is the end of the discussion. Now there is a message from the Lok Sabha Secretariat.